

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/तुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 मई 2014 — वैशाख 23, स.व. 2336

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (पांच) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के जिलाधीशों को उनके अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित अनुसार, अर्जित की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा अधिसूचित करती है, अर्थात् -

अनुसूची

स. क्र.	भूमि अर्जन का प्रयोजन	किजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	सदस्य प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लोक प्रयोजन	1000 हेक्टेयर तक (अर्थात् 2470 एकड़)	जिलाधीश

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. विद्वासाणी, संयुक्त सचिव

Raipur, the 13th May 2014

NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (v) of clause (c) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies the maximum limit of land to be acquired for public purpose under the said Act by the Collector of the State in their respective jurisdiction, as shown in column (3) of the Schedule below, namely :-

SCHEDULE

S. No.	The purpose of land acquisition	The area proposed for acquisition of private land	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	public purpose	upto 1000 hectares (2470 acres)	Collector

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उन्नित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 की उप-धारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एवं 39 के अंतर्गत जिलाधीश की शक्तियों के निर्वाहन के लिए, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, भू-अर्जन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अभिहित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th May 2014

NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, Designates all Sub-divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) to perform powers of the Collector under section 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 and 39 of the said Act for disposal of cases relating to land acquisition within their respective jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 2 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निजी कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमि की निम्नानुसार सीमाएं निर्धारित करती है, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|-----------------|---------------|
| (1) | नगरीय क्षेत्र | 2.00 हेक्टेयर |
| (2) | ग्रामीण क्षेत्र | 4.00 हेक्टेयर |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव

Raipur, the 13th May 2014

NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, prescribes the limits of land to be purchased by private company in rural and urban areas as follows, namely :-

- | | | |
|-----|------------|---------------|
| (1) | Urban Area | 2.00 Hectares |
| (2) | Rural Area | 4.00 Hectares |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHAANI, Joint Secretary

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव

Raipur, the 13th May 2014

NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Sub-divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) within their respective jurisdiction as Administrator for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHAANI, Joint Secretary

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (छ:) एवं (सप्त) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक व्यय विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	व्यय (3)
1.	भू-अर्जन पर सेवा शुल्क	प्रतिकर का 5%
2.	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासनिक व्यय	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन प्रतिकर का 5%.
3.	सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन	रुपय 5 लाख या वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेष्टानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव

Raipur, the 13th May 2014

NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by sub-section (vi) and (vii) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, specifies the administrative cost for the purposes mentioned in column (2) of the Schedule below, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Purpose (2)	Costs (3)
1.	Service charges of Land Acquisition.	5% of the Compensation
2.	Administrative cost of Rehabilitation and Resettlement	5% of the Rehabilitation and resettlement compensation.
3.	Social impact assessment study	5 lakh Rupees or actual expenditure which is more.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHAANI, Joint Secretary

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 44 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सभी संभागीय आयुक्त को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार,
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव,

Raipur, the 13th May 2014

NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Divisional Commissioner within their respective jurisdiction as Commissioner for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary,